

**न्यायालय—श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.—1079 / 2014
संस्थित दिनांक—18.11.2014
फाईलिंग नं.—234503009282014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1—गोलू उर्फ सतीश पिता हीरालाल, उम्र—28 वर्ष,
निवासी—ग्राम बिठली, थाना बिरसा,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—मनोज पटले पिता सुरेश पटले, उम्र—27 वर्ष,
निवासी—ग्राम बिठली, थाना बिरसा,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—22 / 12 / 2016 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—456, 354 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—16.10.2014 से दिनांक—17.10.2014 की मध्य रात्रि 2:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम बिठली में फरियादी कौशल्या यादव के घर जो कि साधारणतया मानव निवास के काम में आता था, में सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर, रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार/गृह भेदन किया, फरियादी कौशल्या यादव जो कि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कौशल्याबाई ने दिनांक—17.10.2014 को पुलिस थाना बिरसा आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम बिठली में रहती है। दिनांक—16.10.2014 की रात्रि को वह अपने घर में अकेले सोई हुई थी, तभी रात्रि 2:00 बजे एक व्यक्ति ने उसके दरवाजे की सांकल खटखटाई। उसने पूछा की वह व्यक्ति कौन है तो उस व्यक्ति ने अपना नाम सतीश बताया और कहा कि उसे जरूरी काम है। उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सतीश उर्फ गोलू रहांगडाले था और उसके साथ गांव का एक अन्य लड़का मनोज पटले था, जो जबरदस्ती उसके घर के अंदर आ गया और सतीश ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया। मनोज ने भी उसे पकड़ लिया, तब वह जोर से चिल्लाई तो दोनों भाग गए। उसने घटना की सूचना ग्राम के कोटवार ब्रजलाल व सरपंच पटले को दी। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के

विरुद्ध अपराध क्रमांक-135/14 अंतर्गत धारा-354, 354(क)(1)(i), 456, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-456, 354 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी कौशल्या यादव ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया, परंतु शमनीय प्रकृति की धारा न होने से राजीनामा आवेदन पत्र निरस्त किया गया। आरोपीगण द्वारा अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-456, 354 के अंतर्गत किये जाने से आरोपीगण का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-16.10.2014 से दिनांक-17.10.2014 की मध्य रात्रि 2:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम बिठली में फरियादी कौशल्या यादव के घर जो कि साधारणतया मानव निवास के काम में आता था, में सूर्यास्त के पश्चात् व सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर, रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार/गृह भेदन किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी कौशल्या यादव जो कि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 व 2 का निष्कर्ष :-

5— सुविधा की दृष्टि से साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6— अभियोजन साक्षी कौशल्या यादव अ.सा.1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना उसके बयान देने के लगभग एक वर्ष पूर्व रात्रि 2:00 बजे की है। घटना दिनांक को आरोपीगण बिठली पंचायत भवन के सामने चिल्ला रहे थे, उसने आरोपीगण को मना किया तो आरोपीगण ने उसके साथ गाली-गलौज की थी। घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना बिरसा में दर्ज कराई थी और रिपोर्ट पर अंगूठा लगाया था। पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-1 नहीं बनाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को वह जब घर के अंदर सोई हुई थी, तभी सांकल खटखटाने की आवाज आई थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने दरवाजा खोलने पर देखा कि आरोपी सतीश और मनोज बाहर खड़े थे और जबरदस्ती

उसके घर के अंदर आ गए थे। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपी सतीश ने उसका बुरी नियत से हाथ पकड़ा था और आरोपी मनोज ने उसे अपनी बांहों में पकड़ लिया था। साक्षी ने जप्ती की कार्यवाही अपने सामने होने से इंकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपीगण से उसका राजीनामा हो गया है।

7— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी मुकेश अ.सा.2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-18.10.2014 को पुलिस थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक-135/14 अंतर्गत धारा-354, 354(क)(1)(i), 456, 34 भा.दं.वि. की केस डायरी उसे विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उसने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-1 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को फरियादी कौशल्याबाई से चूड़ियों के टुकड़े जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तथा प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षी कौशल्याबाई, रमेश, सुन्दर, रूपसिंह के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने फरियादी एवं अन्य साक्षियों के कथन थाने पर बैठकर अपने मन से लिखा है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने जप्ती की कार्यवाही नहीं की और आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया है।

8— प्रकरण में आरोपीगण एवं फरियादी के मध्य राजीनामा आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है, परंतु शमनीय प्रकृति की धारा न होने से आवेदनपत्र निरस्त किया गया। प्रकरण में फरियादी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि घटना दिनांक को आरोपीगण पंचायत भवन के सामने हल्ला कर रहे थे और जब उसने मना किया तो आरोपीगण ने उसके साथ गाली-गलौज की थी, जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपीगण फरियादी के घर 2:00 बजे सांकल खटखटा रहे थे और जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुस गए थे। अभियोजन कहानी आरोपी सतीश ने उसके हाथ को बुरी नियत से पकड़ा था और आरोपी मनोज ने उसे बांहों में बुरी नियत से पकड़ा था, जबकि साक्षी कौशल्या यादव अ.सा.1 ने न्यायालयीन परीक्षण में स्पष्टतः इंकार किया है कि आरोपीगण उसके घर के अंदर घुसे थे और आरोपीगण ने उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसके साथ आपराधिक बल प्रयोग किया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-456, 354 का अपराध किये जाने का तथ्य प्रकट नहीं हो रहे हैं। अतः आरोपीगण को संदेह का लाभ दिया जाकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-456, 354 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

9— प्रकरण में आरोपीगण दिनांक-19.10.2014 से दिनांक-20.10.2014 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहें हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

10— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कांच की चूड़ियों के टुकड़े व चूड़िया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट